न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिकी/टीए/192/2006/सवाईमाधोपुर

1– रामगोपाल पुत्र गंगाराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
1/1– पुरण पुत्र रामगोपाल
1/2– लक्ष्मण पुत्र रामगोपाल
1/3– सुशीला पुत्री रामगोपाल
1/4– केला देवी पुत्री रामगोपाल
समस्त जाति तेली निवासी भाडोती तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1– टीकाराम पुत्र मोद्या जाति मीना निवासी ग्राम भाडौती तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

–रेस्पोडेंट

खण्डपीठ
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
श्री राजेश सिंह, सदस्य

उपस्थितः–

1. श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री कुलदीप मीणा, अभिभाषक रेस्पोडेंट।

निर्णय

दिनांक– 16–10–2025

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 153/2003 में पारित निर्णय दिनांक 12–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी द्वारा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी के विरूद्ध विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली सवाईमाधोपुर के समक्ष एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भाड़ौती तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर स्थिति आराजी खसरा नंबर 14/2 रकबा 2 बीघा पर वादी बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज

होकर काश्त एवं लगान अदा करता आया है। वादी की इस आराजी पर प्रतिवादी का किसी प्रकार कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी जबरन वादी को कब्जे काश्त से वंचित करने पर आमादा है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी को वादी की आराजी खसरा नंबर 14/2 रकबा 2 बीघा में बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद का जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 14/2 भूमि में से वादी के खेत के बराबर घनश्याम बौपारी जाति मीणा ने करीबन 6 गढ्ढ़ा भूमि पर कब्जा कर रखा है। प्रतिवादी गरीब व्यक्ति होने का फायदा उठाते हुए वादी द्वारा गलत वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी रामगोपाल ने दिनांक 29–6–1994 से पूर्व भी प्रतिवादी के खेत खसरा नंबर 15 में से 1 गढ्ढा भूमि दक्षिणी मेड़ की ओर कब्जा कर ली थी, जिसका सीमाज्ञान करवाने के बाद भी वादी ने प्रतिवादीगण की खसरा नंबर 15 में से 1 गढ्ढ़ा भूमि तथा उसके बाद 2 गढ्ढा भूमि पर और कब्जा कर लिया। इस प्रकार कुल 3 गढ्ढा भूमि पर वादी द्वारा कब्जा कर रखा है। अतः वादी एवं प्रतिवादी की उक्त विवादित आराजी का नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जावे। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली सवाईमाधोपुर द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1– आया वादी आराजी खसरा नंबर 14/2 रकबा 2 बीघा पर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

– वादी

2– आया वाद–पत्र झूठा होने से खारिज किये जाने योग्य है।

– प्रतिवादी

3– आया वादी प्रतिवादी के मध्य सीमाज्ञान का विवाद है, जिसका वाद–पत्र पर क्या असर होगा।

– प्रतिवादी

दावे, जवाबदावे एवं कायम की गई तनकीयात के आधार पर विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली जिला सवाईमाधोपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 31–3–2003 द्वारा अपीलांट्स/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2003 से व्यथित होकर

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12–12–2005 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर उप जिला कलेक्टर, बौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2003 यथावत रखा गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–12–2005 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत हैं। उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा केवल प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों के आधार पर एकपक्षीय निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। प्रस्तुत प्रकरण में रामप्रसाद एवं घीस्या ने अपने बयानों में कथन किया कि अपीलांट/वादी ने सीमाज्ञान के लिए लगाए गए पत्थरों को हटा दिया था एवं अपीलांट/वादी द्वारा झूठा वाद प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि दोनों पक्षों के मध्य वास्तविक विवाद विवादित भूमि बाबत् सीमाज्ञान का था। इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि पत्थरगढ़ी दिनांक 25–2–1999 को की जा चुकी थी। इसके उपरांत भी प्रतिवादी द्वारा वादी की आराजी में हस्तक्षेप किया जा रहा था, जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना चाहिए था। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–12–2005 एवं उप जिला कलेक्टर, बौली जिला सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–3–2003 निरस्त किये जावे।

5– रेस्पोडेंट्स के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 14/2 रकबा 2 बीघा है, उक्त आराजी पर धनश्याम ने कब्जा कर रखा है, जिसे कि दावे में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। सीमाज्ञान के दौरान जो पत्थरगढ़ी की गई थी, उसे अपीलांट/वादी ने उखाड़ दिया है। अपीलांट की आराजी के पास ही रेस्पोडेंट की आराजी खसरा नम्बर 15 है, अपीलांट/वादी द्वारा 3 गठ्ठा भूमि पर कब्जा कर रखा है। हमारे द्वारा मौका कमिश्नर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मौका रिपोर्ट दिनांक 6–6–1996 में वादी ने स्वयं 3 गठ्ठा रेस्पोडेंट की आराजी

पर कब्जा करना स्वीकार किया है तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26–6–1994 की है उसमें भी रेस्पोडेंट की 3 गठ्ठा आराजी अपीलांट/वादी के खेतों में दबी होना बताया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा अपने पक्ष में राजस्व रिकार्ड, नकल जमाबन्दी, मौखिक साक्ष्य पेश की हैं, जिससे कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से रेस्पोडेंट के पक्ष की पुष्टि होती है। प्रकरण मौके पर सीमाज्ञान का है और मौके पर यदि पत्थरगढ़ी की कार्यवाही हो जाती है, तो उससे वास्तविक रूप से प्रकरण का समाधान हो जायेगा। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जाये।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट के पिता मृतक रामगोपाल द्वारा सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष ग्राम भाडोती तहसील मलारना डूंगर में स्थित आराजी खसरा नंबर 14/2 रकबा 2 बीघा बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त विवादित आराजी उसके खातेदारी की कब्जे काश्त की भूमि है जिसे रेस्पोडेण्ट द्वारा नाजायज रूप से उसके कब्जे काश्त में दखलादांजी किए जाने पर रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया । उक्त वाद के जबावदावे में रेस्पोडेण्ट द्वारा कथन किया कि रेस्पोडेण्ट का खेत खसरा नंबर 15 में से अपीलाण्ट/वादी ने 3 गडढा जमीन दबा रखी है जो इस समय भी 3 गड्ढा जमीन रेस्पोडेण्ट की अपीलाण्ट के खेत खसरा नंबर 14/2 में दबी है । इसलिए राजस्व अधिकारी से सीमा ज्ञान करवाया जाना आवश्यक है । उक्त वाद मनगढंत तरीके से पेश किया है, जो खारिज योग्य है एवं रेस्पोडेण्ट व अपीलाण्ट के विवादग्रस्त खेतों का नियमानुसार सीमा ज्ञान करवाया जावे । उक्त वाद व जबावदावे के आधार पर तनकियात कायम की गई । सहायक कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31–3–2003 से तनकीवार निर्णय से वाद खारिज कर दिया ।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 6–6–96 का अवलोकन किया जिसके अनुसार '' खसरा नंबर 43, 42 व 37 के मध्य तिगढे से स्थायी बिन्दु मानकर खसरा नंबर 14/1 , 14/2 व खसरा नंबर 15 का दक्षिणी पूर्वी कोना कायम करते समय खसरा नंबर 14/1 व 14/2 के मध्य की मेड कायम करते खसरा नंबर 14/1 व 14/2 के मध्य की मेड कायम की गई । पुनः खसरा नंबर 24 गैर मु.चाह से स्थायी बिन्दु मानते हुए खसरा नंबर 22, 23, 33 व 34 के मध्य चौकडे से खसरा नंबर 15 की दक्षिणी मेड कायम की गई । जो पूर्व की माप से भी पुष्टि

होती है । खसरा नंबर 14/1 व 14/2 के मध्य की विवादित मेडा कायम की गई । विवादित भूमि प्रार्थी के हक की है । खसरा नंबर 15/2 की उत्तरी मेड खसरा नंबर 14/1 प्रसाद पुत्र मीडया मीणा के खेत में 3 गढ्ढे बढी हुई मिली जिसमें निशानात मौके पर लगाये गए । रामगोपाल तेली ने भूमि छोड़ना स्वीकार किया । सीमाज्ञान दोनों की उपस्थिति में आपसी सहमति से कराया गया । ''

उक्त रिपोर्ट पर अपीलाण्ट रामगोपाल व टीकाराम दोनों के हस्ताक्षर है जिस पर पटवारी व तहसीलदार के भी हस्ताक्षर है । उक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य सीमा ज्ञान का विवाद है ।

इस प्रकार उक्त रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट की भूमि पर कोई कब्जा नही किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 में खसरा नंबर 14/1 पर प्रसाद पुत्र मोडया मीणा सा0 देहखातेदार दर्ज है एवं खसरा नंबर 15 पर प्रसाद टीकाराम चिरंजीलाल पि0 मोडया का नाम दर्ज है एवं खसरा नंबर 14/2 पर रामगोपाल पुत्र गंगाराम का नाम दर्ज है । पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट की भूमि पर कब्जा किया हो किन्तु अपीलाण्ट द्वारा उसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्यों से अपीलाण्ट का वाद सिद्ध नहीं मानते हुए खारिज कर दिया । विचारण न्यायालय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने भी अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकित किया है कि पक्षकारान के मध्य प्रकरण में विवाद सीमा निर्धारण को लेकर है और पर मौके पर उभय पक्ष के खसरा नंबर की पैमाईश कर पत्थर गढ़ी इसका समाधान है । विचारण न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 3 निर्णित करते समय यह स्पष्ट अंकित किया है कि दोनों पक्ष पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवा लेने से उक्त विवाद का समाधान हो जायेगा एवं दोनों पक्ष तहसीलदार की मौजुदगी में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने के अधिकारी है । हस्तगत प्रकरण पत्थरगढ़ी से संबंधित है किन्तु अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई किन्तु अपीलाण्ट द्वारा अपना पक्ष किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किए जाने से विचारण न्यायालय ने वाद खारिज किया एवं इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को भी अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किया है । हमारी सुविचारित राय में ऐसे विधिसम्मत निर्णयों में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है, जिससे कि द्वितीय अपील के

माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है **जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–**

''जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

"Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue."

इस संबंध में AIR 2008 SC 380 Boodireddy Chandraiah and Ors. versus Arigela Laxmi and Ors. के पैरा संख्या 13 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं–

"13, The general rule is that High Court will not interfere with concurrent findings of the Courts below ."

अतः उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

8– उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अन्य कोई प्रार्थना–पत्र लम्बित हो तो तद्नुसार निर्णित किए जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सिंह) (आर.डी.मीणा)

सदस्य सदस्य